RIGHT EDUCATION For Your Bright Future...
MODERN INSTITUTE
(A Study Centre withModern Infrastructure)
MAHUATAL, BARBIGHA (SHEIKHPURA) BIHAR - 811101
Light The Lamp Of Education
mib.barbigha@gmail.com www.mib.co.in 8102225917, 8228978076, 9661937622

RULES AND REGULATIONS

विद्यार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

1) प्रतिदिन वर्ग समय पर आना अनिवार्य है।
2) वर्ग मे प्रवेश के समय अथवा वर्ग से निकालने से पहले या सुनिश्चित कर ले कि आपका उपस्थिती [attendance] दर्ज हो गया हो। इसके लिए Biometric Machine मे अपने बाए हाथ का अंगूठा को स्कैन करें।
3) अगर किसी कारणवश आप क्लास मे उपस्थित नहीं हो पाते है तो अगले दिन छुट्टी के लिए आवेदन पत्र अपने अभिभावक से हस्ताक्षर कराकर लाना अनिवार्य है। अनथ्या वर्ग से निष्काषित कर दिया जाएगा।
4) वर्ग के दीवार, टेबल, कुर्सी, बोर्ड आदि पर किसी प्रकार का व्यंग ना लिखें। ये आपके अनुशासनहीनता को दर्शाता है।
5) वर्ग मे प्रवेश करने से पहले शिक्षक की अनुमति लेकर ही प्रवेश करें।
6) वर्ग मे प्रवेश करने से पहले ही अपना मोबाइल साइलेंट मोड मे डाल दें। कक्षा के दौरान मोबाइल बजने से एकाग्रता भंग हो जाता है।
7) वर्ग मे च्विंगम, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स आदि का सेवन करना मना है। इन चीजों का सेवन करना आपके अनुशासनहीनता को दर्शाता है।
8) अगर किसी कारणवश शिक्षक वर्ग मे विलंब से पहुँचते है तो उस दौरान विद्यार्थी पिछले पढ़ाये गए अध्याय को पढ़ेंगे और शांति बनाए रखेंगे। शोर-गुल करने पर आपको वर्ग से निकाला जा सकता है।
9) वर्ग तथा इंस्टीट्यूट मे पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक दूसरे से भाई बहन जैसा व्यवहार करेंगे। अभद्र व्यवहार करने पर आपको हमेशा के लिए इंस्टीट्यूट से निकाला जा सकता है।
10) किसी भी परिस्थिति मे अनुशासन मे रहकर ही अपना आचरण करें। कोई परेशानी होने पर शिक्षक को अपनी समस्या बताएं।

11) ध्यान रहे, अगर आप इंस्टीट्यूट के व्यवस्था और नियमों के उलंघन करते हुये पाये गए तो इंस्टीट्यूट आपके और आपके अभिभावक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। आपके अभिभावक से इस संबंध मे प्रवेश के समय ही बॉन्ड भरवा लिया गया है।

निष्कासन

किसी भी छात्र अथवा छात्रा का निष्कासन इंस्टीट्यूट के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होती है। फिर भी अपरिहार्य कारणवश निष्कासन आवश्यक हो जाता है तो इस संस्थान को उस विद्यार्थी के निष्कासन मे कतई संकोच नहीं होता है। संस्थान अपने यहा पढ़ रहे छात्रों के हितों की उपेक्षा किसी भी हालत मे बर्दाश्त नहीं करता। आम तौर पर निष्कासन अनुशासनहीनता और उदण्डता के आरोप मे ही संभव होता है। इसके अलावा अपेक्षित प्रगति के अभाव में, फीस ना जमा होने पर, आचरण दोष, अभद्र व्यवहार होने पर संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है।

व्यवस्थापक
मॉडर्न इंस्टीट्यूट
बरबीघा (शेखपुरा)